

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 अक्टूबर 2012—आश्विन 20, शक 1934

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

उज्जैन, दिनांक 29 सितम्बर 2012

क्र. 1131.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 5(क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, आदेशानुसार एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम नं. (1) से (6) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित क्षेत्रों को उक्त, अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नगरपालिका महिदपुर क्षेत्र की सीमाओं के भीतर सम्मिलित करना प्रस्तावित है, नगरपालिका महिदपुर के साथ सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्रों का विवरण नीचे अनुसूची में वर्णित है, प्रस्तावित नगरपालिका क्षेत्र की सीमा इस अधिसूचना में प्रकाशित अनुसार परिभाषित है—

अनुसूची

स्थानीय नगरपालिका क्षेत्र की सीमावृद्धि की चतुर्सीमा के ब्यौरे

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल	चतुर्सीमाएं क्षेत्र की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	उज्जैन	महिदपुर	बरड़ा भूरेखां	94.67	उत्तर—सर्वे नं. 17 व 20/1 महिदपुर नागौरी एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी नागौरी पब्लिक स्कूल महिदपुर से सर्वे नं. 44/2 की पूर्वी मेड एवं भीमाखेड़ा कांक्रड, पारीबाई रामचन्द्र व रमेशचन्द्र पिता गंगाराम आदि की कृषि भूमि तक.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<p>पूर्व—सर्वे नं. 44/2 रमेशचन्द्र पिता गंगाराम की कृषि भूमि से कांकड, कांकड चलकर सर्वे नं. 95 देवचंद पिता थावर की कृषि भूमि तक.</p> <p>दक्षिण—सर्वे नं. 95 कांकड, कांकड चलकर नीता पति दिलीप कुमार आदि की कृषि भूमि सर्वे नं. 78 तक.</p> <p>पश्चिम—सर्वे नं. 78 से चलकर सर्वे नं. 71 नाथूराम तुलसीराम की कृषि भूमि सर्वे नं. 71/1 की उत्तरी मेड़ से चलकर सर्वे नं. 7,9,10 व 11, 27, 26, 25, 23 को शामिल करते हुये सर्वे नं. 17 व 20/1 की पश्चिमी मेड़ तक.</p>
2	उज्जैन	महिदपुर	बारा पत्थर	81.72	<p>उत्तर—सर्वे नं. 19/1 दरगाह एवं श्मशान भूमि से चलकर पीडब्ल्यूडी की सड़क एवं सरस्वती शिशु मंदिर होते हुए सर्वे नं. 140 नाले तक.</p> <p>पूर्व—सर्वे नं. 140 नाले से चलकर सर्वे नं. 158 ग्राम कढ़ाई जाने वाली सड़क सर्वे नं. 124 तक.</p> <p>दक्षिण—सर्वे नं. 124 कढ़ाई जाने वाली सड़क से चलकर नाला सर्वे नं. 122 को लेते हुए सर्वे नं. 32/4 गंगाराम देवजी की कृषि भूमि तक.</p> <p>पश्चिम—सर्वे नं. 32/4 गंगाराम देवजी की कृषि भूमि से चलकर सर्वे नं. 19/1 की श्मशान भूमि तक.</p>
3	उज्जैन	महिदपुर	ताजपुरा	85.30	<p>उत्तर—बारापत्थर के नाले के पास सर्वे नं. 83 विजयकुमार सुगनमल के मकान से नाले नाले चलकर सर्वे नं. 74 व सर्वे नं. 92/2 रास्ता व 152/2 रास्ते को कूदकर सर्वे नं. 151/1 अनिता पति मनोजकुमार मूथा इन्दौर की उत्तरी मेड़ से चलकर सर्वे नं. 152/5 पुरुषोत्तम आदि की कृषि भूमि व सर्वे नं. 125 रास्ते को कूदकर सर्वे नं. 124 की पूर्वी मेड़ से दक्षिण की ओर चलकर सर्वे नं. 188 के रास्ते को कूदकर सर्वे नं. 190/1 की पूर्वी मेड़ बरड़ा भूरेखा की कांकड तक.</p> <p>पूर्व—सर्वे नं. 190/1 की पूर्वी सीमा से कांकड, कांकड दक्षिण की ओर चलकर सर्वे नं. 190/5 की मेड़ से काखेड़ी कांकड तक.</p> <p>दक्षिण—सर्वे नं. 190/5 की दक्षिणी मेड़ से कांकड, कांकड चलकर सर्वे नं. 108 विद्युत् मंडल की ग्रिड तक.</p> <p>पश्चिम—सर्वे नं. 108 विद्युत् मंडल की ग्रिड से पश्चिमी मेड़ कांकड, कांकड चलकर सर्वे नं. 83 विजयकुमार पिता सुगनमल के मकान तक.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	उज्जैन	महिदपुर	भीमखेड़ा	71.58	<p>उत्तर—सर्वे नं. 147, 148 जूली पति कमलेश बाफना की उत्तरी मेड़ से चलकर सर्वे नं. 171/2 मंजु पति सत्य नारायण की कृषि भूमि तक सर्वे नं. 172 की सड़क को कूदकर सर्वे नं. 271 तक.</p> <p>पूर्व—सर्वे नं. 271 की पूर्वी मेड़ से चलकर बायपास के रास्ते, रास्ते चलकर सर्वे नं. 248 को लेते हुए सर्वे नं. 247 रास्ता कूदकर रास्ते, रास्ते सर्वे नं. 344 तक.</p> <p>दक्षिण—सर्वे नं. 344 के दक्षिण मेड़ से बरडा भूरेखां के कांकड, कांकड चलकर सर्वे नं. 211/1 तक.</p> <p>पश्चिम—सर्वे नं. 211/1 की पश्चिमी मेड़ से चलकर सर्वे नं. 215/1 एवं 231/1 के रास्ते, रास्ते चलकर 2 सर्वे नं. 234 की पश्चिमी मेड़ तक. सर्वे नं. 234 की उत्तरी मेड़ के पूर्व की ओर चलकर सर्वे नं. 239/1 से उत्तर की ओर चलकर सर्वे नं. 247 के रास्ते को कूदकर सर्वे नं. 176/1 की पश्चिमी मेड़ से उत्तर की ओर चलकर सर्वे नं. 172 की सड़क कूदकर कस्बा महिदपुर के कांकड, कांकड चलकर सर्वे नं. 147 तक.</p>

उक्त प्रस्तावित क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाला स्थानीय प्राधिकारी या उसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस की कालावधि के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय समय में लिखित में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.